Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चुरू में ग्राम विकास अधिकारी को 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *22 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चुरू इकाई द्वारा आज गुरूवार को चुरू में कार्यवाही करते हुये ग्राम पंचायत गोपलपुरा तहसील सुजानगढ के ग्राम विकास अधिकारी वीरेन्द्र शर्मा को 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चुरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके साझे के प्लाट पर चल रहे निर्माण कार्य को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पट्टा पक्का नहीं है कहकर रूकवा दिया है तथा खर्चे के नाम पर 2 लाख रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर **पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंघला** के निर्देशन में एसीबी चुरू के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द प्रकाश स्वामी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **वीरेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत गोपलपुरा तहसील सुजानगढ जिला चुरू को परिवादी से **1 लाख रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।